9

विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

संजीव कुमार*

भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सुधारात्मक प्रक्रिया रूपी शृंखला में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का जुड़ना प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता हेतु एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है। इस अधिकार अधिनियम में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रावधान का होना किसी शैक्षिक क्रांति से कम नहीं है। विद्यालय के संपूर्ण विकास, समुदाय की सक्रिय सहभागिता, शैक्षिक गुणवत्ता को विकसित करने, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण हेतु शैक्षिक-प्रशासनिक-वित्तीय प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने तथा इन निर्णयों को विकेंद्रित रूप से ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति एक सशक्त संकल्पना है। प्रस्तुत लेख में प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन व कार्यों के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है।

लोकतांत्रिक सामाजिक-शैक्षिक व्यवस्था के बहुआयामी विकास की मज़बूत बुनियाद बनाने में प्रारंभिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभिक शिक्षा, शैक्षिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों (माध्यमिक व उच्च शिक्षा) की नींव सदृढ़ करने का कार्य करती है। लोकतांत्रिक शैक्षिक व्यवस्था में प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षा ओर समुदाय के बीच शैक्षिक संवाद व सक्रिय संबंध इस नींव को मजबूत बनाने में एक सक्षम कड़ी साबित हो सकते हैं। लोकतंत्र और शिक्षा में आपसी घनिष्ठ संबंध की प्रक्रिया विकेंद्रित होने की शैक्षिक दृष्टि से मज़बूत समाज की ओर इशारा करती है। लोकतांत्रिक शैक्षिक-सामाजिक व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण-आधारित विद्यालयी शिक्षा की सफल प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय सहभगिता एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में जानी जाती है। विद्यालयों में स्व-शासन और स्व-व्यवस्था जैसे विचारों की बात करने वाले शैक्षिक-दार्शनिक विचारक जॉन ड्यूई ने स्कूल और समाज को एक-दूसरे का पूरक मानते हुए स्वीकृत किया है कि एक आदर्श विद्यालय समाज को लघु रूप में प्रस्तुत करता है।

प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर विद्यालयी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2010 को लागू नि:शुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम किया गया। आज

* *शोधार्थी* (पी.एच.डी.), शिक्षा विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली

लगभग इसे लागू हुए को 9 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन क्या प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर गुणवत्तापूर्ण-आधारित विद्यालयी शिक्षा की पूर्ति हो पायी है? क्या सामुदायिक सहभागिता को निर्णय प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण के रूप में भली-भाँति शामिल कर लिया गया है? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, बालिकाएँ, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और अन्य वंचित समूहों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भेदभाव रहित हो, यह सुनिश्चित कर लिया गया है? क्या विद्यालयों में मूलभूत गुणवत्ता आधारित सुविधाओं की उपलब्धता है? क्या सभी शालात्यागी बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो चुका है? क्या विद्यालय और कक्षाएँ नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं? क्या शिक्षक विद्यालयी समय में नियमितता और समय-पालन बनाए रखते हैं? प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर विभिन्न ऐसे मुद्दे और चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में ही मौजूद है। इस दिशा में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान होना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। एक आदर्श विद्यालय की संकल्पना में समाज की उपस्थिति को सक्रिय रूप से दर्ज करने में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, विद्यालय में शैक्षिक विकास की कार्य-योजनाओं के क्रियान्वयन व गुणवत्ता वृद्धि सुनिश्चित करती है। इसके साथ-साथ शिक्षा में जन-भागीदारी व लोक सशक्तीकरण की सक्रियता तथा मज़बूती के लिए यह एक प्रभावी कदम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता व जन-भागीदारी के बिना शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। संभवत: शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में सामुदायिक सहभागिता की अनिवार्यता को मज़बूती से प्रस्तुत किया गया है।

विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन

शैक्षिक परिदृश्य में विद्यालय प्रबंधन समिति की संकल्पना (गठन व कार्य) को समझने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21(क) को जानना ज़रूरी है। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन (2002) द्वारा अनुच्छेद 21(क) के अनुसार, राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य, विधि द्वारा अवधारित करें, नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ज्ञातव्य है कि संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का संरक्षण का प्रावधान करता है। इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के साथ ही 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला। 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक या बालिकाओं के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को 26 अगस्त 2009 में अधिनियमित किया गया।

नि:शुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 'विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व' शीर्षक अध्याय की धारा 21(1) के अनुसार सरकारी विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त बालक या बालिकाओं के माता-पिता या संरक्षक

और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। जबकि सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाले गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान नहीं किया गया है। समिति के गठन संबंधी प्रावधान हैं—

- समिति में कम से कम तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे;
- समिति में अलाभित समूह (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग) और दुर्बल वर्ग के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा;
- समिति के पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होंगी।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों को ज़मीनी स्तर पर वास्तविक रूप देने में विद्यालय प्रबंधन समिति एक निर्णायक व महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह समिति शिक्षा के विभिन्न हितधारकों (शिक्षकों व माता-पिता सहित) के साथ रचनावाद संवाद तथा अपने सकारात्मक कामकाज द्वारा विद्यालय व्यवस्था के कार्यों को पुन:स्थापित एवं सुचारु ढंग से कर सकती है। विद्यालय प्रबंधन समिति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षा में गुणवत्ता विकास के लिए प्रधानाध्यापक, अभिभावकों, शिक्षक, जनप्रतिनिधि द्वारा मनोनीत सदस्य तथा समाजसेवी सदस्यों से मिलकर बनने वाली 16 सदस्यों वाली समिति है। शिक्षा निदेशालय (दिल्ली) द्वारा 2013 में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन और कार्यों से संबंधित परिपत्र के अनुसार समिति के सभी 16 सदस्यों का पद–विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1

क्र. सं.	वास्तविक पद	समिति में दर्जा	सदस्य संख्या
1	प्रधानाचार्य/विद्यालय प्रमुख	सदस्य /अध्यक्ष	1
2	बच्चों के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक	सदस्य	12
3	विद्यालय का शिक्षक	सदस्य /संयोजक	1
4	जन-प्रतिनिधि द्वारा मनोनीत व्यक्ति	सदस्य	1
5	शिक्षा के क्षेत्र में निहीत सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य	1

*समिति का उपाध्यक्ष माता–पिता सदस्यों में से ही होता है।

विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21(2) के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित कार्यों का पालन करेगी—

- विद्यालय के कार्यों को मॉनीटर करना
- विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफ़ारिश करना
- सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों को मॉनीटर करना

- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएँ।

विद्यालय के संपूर्ण विकास व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति को न केवल संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं बल्कि समय-समय पर भारत के विभिन्न राज्यों के शिक्षा संबंधी विभाग द्वारा समिति के कार्यों व शक्तियों से संबंधित दिशा-निर्देश परिपत्र उद्घोषित किए गए हैं। उदाहरणस्वरूप, स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग (प्रारंभिक शिक्षा अनुभाग), राजस्थान सरकार द्वारा 2010 में, तथा 2011 में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन ने समिति के गठन व कार्य संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा निदेशालय, दिल्ली (2016) में उद्घोषित एक परिपत्र द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की शक्तियों में वृद्धि के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों या उत्तरदायित्वों से संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लेख इस प्रकार हैं—

- **बैठक**—एक माह में समिति की दो बैठकें होंगी। बैठक माह के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित होगी। समिति अपनी सुविधा के अनुसार बैठकों के दिन में परिवर्तन कर सकती है। यदि किसी कारण से अध्यक्ष बैठक बुलाने में असफल रहता है, तो उपाध्यक्ष भी बैठक को बुला सकता है।
- **स्कूल का संपूर्ण विकास करना**— विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय के संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण हेतु किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने तथा इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए सशक्त है।
- **विद्यालय का दौरा करना**— विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य स्कूल की कार्यप्रणाली में बाधा डाले बिना कार्य समय के दौरान स्कूल का दौरा करने के पात्र हैं। स्कूल प्रधानाचार्य के पूर्वानुमोदन से समिति के सदस्य असेंबली को संबोधित कर सकते हैं।
- **रिकॉर्ड का निरीक्षण**— समिति का कोई भी सदस्य लिखित रूप से अनुरोध कर स्कूल से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड के बारे में पूछ सकता है। इसी प्रकार वह किसी भी दस्तावेज़ की छायाप्रति माँग सकता है, यद्यपि छायाप्रति की लागत का वहन स्वयं सदस्य को ही करना होगा। समिति की मासिक बैठकों के दौरान, समिति के निर्णयानुसार स्कूल से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड (वित्तीय, बिल, शिक्षकों व छात्र की उपस्थिति रजिस्टर संबंधी आदि) विद्यालय प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
- **व्यय की जाँच करना**—विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में स्कूल की इमारत व उसके अनुरक्षण में व्यय के बिल प्रस्तुत किए जाएँगे, तो समिति के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे व्यक्तिगत रूप से मरम्मत,अनुरक्षण या खरीदी गई संपत्ति की जाँच कर सकते हैं।
- **शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया**— विद्यालय प्रबंधन समिति को यह शक्ति है कि वह शैक्षणिक रूप से अधिक सहायता की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मदद के लिए विद्यालय परिसर में विशेष प्रशिक्षण तथा उपचारी शिक्षा कार्यक्रम को आयोजित करे। स्कूल तथा कक्षा से शिक्षकों की अनुपस्थिति को जाँचने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति अभिभावक-सदस्यों से बनी उप-समिति का गठन करेगी। यह

उप-समिति सप्ताह में कम से कम एक बार स्कूल व कक्षा का दौरा करेगी तथा बच्चों के साथ संवाद करेगी। स्कूल प्रबंधन समिति को शिक्षक को बैठक में बुलाने की शक्ति है। शिक्षक के लगातार अनुपस्थित रहने पर समिति उससे कारण बताओ नोटिस देने की सिफ़ारिश कर सकती है।

- **शिकायत-पेटी**— विद्यालय के प्रमुख स्थान में छात्रों के लिए लगे शिकायत बॉक्स को समिति के सदस्यों की हाज़िरी में खोला जाएगा तथा अभिभावकों से प्राप्त शिकायत पर समिति की बैठक में विचार किया जाएगा।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयाम और विद्यालय प्रबंधन समिति का सशक्तीकरण

शिक्षा में गुणवत्ता और व्यवस्थागत सुधारों, विशेषत: समुदाय की सहभागिता को लेकर *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* मानती है कि गुणवत्ता एक व्यवस्थागत गुण है न कि शिक्षण व उपलब्धि का एक तत्व मात्र है। विस्तृत अर्थ में गुणवत्ता किसी व्यवस्था की इस क्षमता की परिचायक होती है कि वह स्वयं में सुधार कर, कमियों को दूर कर, नयी क्षमताओं का विकास करे। हमारी व्यवस्थाओं में ऐसे मूलभूत सुधारों की ज़रूरत है जो इसकी आंतरिक जड़ता व बदलावों के प्रति उदासीनता को दूर कर सकें। विकेंद्रीकृत सुधार के इस क्रम में निम्नांकित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए — स्थानीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना, ऐसे अवसर पैदा किए जाएँ जिसमें स्थानीय स्तर पर जन-प्रतिनिधि संस्थाएँ प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक काम कर सकें व गैर-सरकारी संघटनों और निर्णयकारी संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित किया जाए। उपरोक्त प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संबंधी प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब उसके साथ-साथ सामाजिक न्याय का भी प्रसार हो। शिक्षा में सामाजिक न्याय को इस संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति की संकल्पना द्वारा पूरा किया जा सकता है। आर. गोविंदा और रश्मि दीवान (2003) के अनुसार यह व्यापक रूप से पहचान लिया गया है कि सामुदायिक सहभागिता प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा—सुधार हेतु मूल्यांकन— शाला सिद्धि, न्यूपा (2016) के अनुसार, भारतीय शिक्षा में प्रभावी विद्यालयी संचालन में गुणवत्ता लाने की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है ताकि सभी बच्चों के लिए गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था संभव हो सके। विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता हेतु किए जाने वाले प्रयासों के लिए आवश्यक है कि विद्यालय के कार्य-निष्पादन और सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अत: विद्यालयी सुधार हेतु व्यापक एवं समग्र विद्यालयी मूल्यांकन व्यवस्था की आवश्यकता पर उत्तरोत्तर अधिक बल दिया जा रहा है। इसी दिशा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय (न्यूपा) ने 'राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम' चलाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक स्कूल का एक संस्था के रूप में मूल्यांकन करना और जवाबदेहिता के साथ स्व-उन्नयन की संस्कृति का निर्माण करना है। प्रस्तुत कार्यक्रम में विद्यालयी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करने के लिए मुख्य आयामों एवं मूल मानकों की चर्चा की गई है, जिनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2

मुख्य आयाम	मूल मानक
स्कूल संसाधन, उपलब्धता, पर्याप्तता एवं उपयुक्तता	स्कूल परिसर, खेल का मैदान व सामग्री, कक्षा-कक्ष, बिजली उपकरण, कंप्यूटर, पुस्तकालय, लैब, रैंप, मिड-डे मील, पेय-जल, शौचालय।
शिक्षण-अधिगम एवं आकलन	शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, कक्षा प्रबंधन, शिक्षकों की विषयवस्तु, बच्चों के बारे में समझ, अधिगम सहायक वातावरण आदि।
विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धि एवं विकास	विद्यार्थियों की उपस्थिति, प्रगति, सहभागिता व सामाजिक विकास।
अध्यापक कार्य	अध्यापकों की उपस्थिति, नए अध्यापकों का उन्मुखीकरण आदि।
स्कूल प्रबंधन एवं नेतृत्व	शिक्षण-अधिगम ,परिवर्तन एवं सुधार, स्कूल प्रबंधन में नेतृत्व प्रदान करना आदि।
समावेशन, स्वास्थ्य व सुरक्षा	समावेशी संस्कृति, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का समावेशन, भौतिक व भावात्मक सुरक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा।
समुदाय की गुणात्मक सहभागिता	विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, प्रबंधन व विद्यालयी सुधार हेतु भूमिका, विद्यालय-समुदाय का आपसी संबंध, समुदाय का सशक्तीकरण तथा अधिगम संसाधन के रूप में समुदाय।

विद्यालयी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करने के लिए उपरोक्त मुख्य आयामों एवं मूल मानकों का मूल्यांकन कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा में शामिल विभिन्न हितधारकों में सहभागी होने के लिए एक सामान्य समझ विकसित करने का प्रयास करता है। इसी प्रयास में विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति भी कार्यरत है। प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर विद्यालयी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 नि:संदेह एक सशक्त प्रयास है। इस अधिनियम ने सरकारी विद्यालयों में स्कूल प्रबंधन समिति के गठन के प्रावधान के माध्यम से बच्चों के विभिन्न हितधारकों को सहभागी करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को साकार करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। शिक्षा में समुदाय की सहभागिता व शैक्षिक-सामाजिक ताने-बाने की प्रक्रिया को बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में चर्चा की गई है कि संविधान का 73वाँ व 74वाँ संशोधन स्थानीय समुदायों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैधानिक संस्थागत अवसर मुहैया करवाता है जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है। बच्चों की शैक्षिक प्रक्रिया में माता-पिता या अभिभावकों व सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ और ज़रूरत को लेकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विमर्श करती है कि उन्हें बच्चों की शिक्षा में भागीदार बनाना चाहिए। अभिभावक और समुदाय के सदस्य स्कूल में संदर्भ व्यक्ति के रूप में आकर पढ़ाए जा रहे विषय से संबंधित अपना ज्ञान बाँट सकते हैं। बच्चों की शिक्षा और अधिगम के संसार में समुदाय की भागीदारी इसलिए होनी चाहिए ताकि समुदाय ज्ञान के सृजन और सूचना की खोज और अन्य खोजबीन में

विद्यार्थियों की मदद करें। स्थानीय शासन एवं स्कूल की मदद से बच्चों को सूचना की खोज, नियोजन, मूल्यांकन एवं प्रबोधन के मौके दिए जाएँ जिससे उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर मिलें। इसके साथ ही उन्हें बच्चों द्वारा महसूस की जा रही मुश्किलों को संबोधित करने में मदद मिले। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* से उद्धृत उपरोक्त पंक्तियाँ भी निश्चित ही विद्यालयी शिक्षा और प्रक्रिया में गुणवत्ता, समुदाय की सहभागिता तथा उसके सामाजिक/वातावरणीय अनुभवों को महत्व देने की बात करती हैं। विद्यालय के संपूर्ण विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का सशक्तीकरण बहुत ज़रूरी है।

विद्यालय प्रबंधन समिति को सशक्त करने संबंधी सुझाव

रा.शै.अ.प्र.प. ने *शिक्षा में समावेशन–विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए संदर्शिका* (2017) में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में विद्यालय प्रबंधन समिति को एक आवश्यक व महत्वपूर्ण कड़ी माना है। संदर्शिका के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति को प्रशिक्षित, उन्मुखीकरण व मज़बूत करने के उद्देश्य से कार्य व भूमिका संबंधी निम्नलिखित सुझावों की विस्तृत चर्चा की गयी है।

- विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं का निरीक्षण करना और उसके बाद उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सहायता करना।
- विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय समुदाय से संसाधनों को जुटाने के लिए योजना बनाना।
- शालात्यागी बच्चों को विद्यालय में लाना।
- विद्यालय में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के निषेध हेतु कार्य करना।
- अभिभावक-शिक्षक बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाना तथा स्कूल में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
- सुनिश्चित करना कि स्कूल में जाति, रंग, जेंडर, भाषा, दिव्यांगता आदि के कारण भेदभाव नहीं हो।
- स्वस्थ विद्यालयी वातावरण को सुनिश्चित करना। विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रमों के प्रति सचेत रहना। स्कूल में आपदाओं से बचने के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाना।
- सरकारी, स्थानीय निकायों आदि द्वारा दान में दी गई धनराशि आदि के माध्यम से विद्यालय द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों का विवरण प्राप्त करना, धनराशियों के व्यय के लिए प्राथमिकताओं और तरीकों का सुझाव देना। विद्यालय को प्राप्त समस्त धनराशियों और उनके व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा समिति द्वारा तैयार करना आदि।

विद्यालय प्रबंधन समिति को सशक्त करने संबंधी अन्य महत्वपूर्ण सुझाव

- एक विद्यालय को अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में समुदाय के सहयोगी के रूप में सक्रिय सहभागिता निभानी होती है। अतः विद्यालय के संपूर्ण विकास के लिए स्कूल को समुदाय के सदस्यों के साथ मिल-जुलकर काम करना बहुत ज़रूरी है।
- विद्यालय प्रबंधन समिति को विशेषत: माता-पिता/अभिभावकों, सदस्यों को उनके कार्यों के प्रति जागरूक तथा उन्हें शिक्षा के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, जैसे— समावेशी शिक्षा,

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, विद्यालय प्रशासन आदि के प्रति समझ विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।

- शिक्षा विभाग व स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल के आस-पास के क्षेत्र में रह रहे जनमानस को नुक्कड़- नाटक, शैक्षिक-रैली आदि के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन समिति की संकल्पना व उसके कार्यों से परिचित करवाना चाहिए।
- शिक्षा विभाग व प्रशासन द्वारा यू-ट्यूब मोबाइल एप के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन समिति की संकल्पना पर शॉर्ट फिल्म बनाना चाहिए।
- प्रत्येक माह होने वाली बैठकों में समिति के विशेषत: माता-पिता/अभिभावकों, सदस्यों को सक्रिय अभिव्यक्ति व संवाद के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए।
- समिति के विशेषत: माता-पिता/अभिभावकों, सदस्यों का समग्र-शिक्षा, मिड-डे मील योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ आदि सरकारी शैक्षिक योजनाओं के बारे में उन्मुखीकरण करना चाहिए।
- कार्य-अनुभव कक्षा की गतिविधियों (क्लेमॉडलिंग, चटाई-बुनाई या अन्य हुनरमंद कला) की सुगमता के लिए समुदाय के विभिन्न संसाधनीय स्रोतों के शैक्षिक प्रयोग में विद्यालय प्रबंधन समिति को प्रमुख ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है। स्कूल द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करना सामाजिक व शैक्षिक परिवेश में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का अधिकतम उपयोग न केवल बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बल्कि स्कूल के सामाजिक प्रबंधन के विकास को भी सुनिश्चित करता है। इससे विद्यालय और समुदाय दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हुए शैक्षिक रूप से लाभान्वित होते हैं।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों को ज़मीनी स्तर पर वास्तविक रूप देने एवं बच्चों की प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता की पूर्ति हेतु उनके विभिन्न हितधारकों (स्कूल प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता-पिता, जनप्रतिनिधि द्वारा मनोनीत व्यक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में निहित सामाजिक कार्यकर्ता) को शामिल करने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति एक निर्णायक व महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह समिति विद्यालय एवं समुदाय के मध्य शैक्षिक रचनावाद-संवाद तथा अपने सकारात्मक व सक्रिय कामकाज द्वारा विद्यालय व्यवस्था के कार्यों को पुन:स्थापित एवं सुचारु ढंग से कर सकती है।

संदर्भ

किरण, चाँद. 2017. *शिक्षा-सामाजिक परिप्रेक्ष्य*. हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

कुमार, कृष्ण. 2009. *शिक्षा का अधिकार कानून*. धनकर रोहित (संपादक) *शिक्षा विमर्श*, शिक्षा के अधिकार पर केंद्रित अंक में, अंक 6, दिसंबर 2009 दिगंतर, जयपुर.

गोविंदा, आर. एवं रश्मि दीवान (संपादक). 2003. *कम्युनिटी पार्टीसिपेशन एंड इंपावरमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन*. सेज पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.

ड्यूई , जॉन. 2009. *स्कूल और समाज.* सुशील कपूर (अनुवादक). आकार बुक्स , दिल्ली.

न्यूपा. 2016. स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा— सुधार हेतु मूल्यांकन — शाला सिद्धि, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) नयी दिल्ली।

भारत सरकार. 2009 *नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम*, 2009. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

मिश्रा, नरेंद्र. 2019. 11 साल की उम्र से ही डिप्रेशन में डूब रहे बच्चे. *नवभारत टाइम्स.* 08 जुलाई 2019, https://navbharattimes.indiatimes.com/lifestyle/family/government-says-school-going-kids-suffering-from-depression-at-the-age-of-11/articleshow/70121602.cms को देखा गया।

रा.शै.अ.प्र.प. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

———. 2017. *शिक्षा में समावेशन — विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए संदर्शिका.* राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.